(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ङ) क्या इस प्रकार की समीक्षा और अधिनियमों को अद्यमान बनाए जाने के कार्य से आम जनता को लाभ पहुंचेगा और पर्यावरण के सुचारू और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तिय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्य है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो.सैफुद्दीन सोज):

(क) जी, हां।

(ख) वनों की सुरक्षा और प्रंबधन में स्थानीय समुदायों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान नीति में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस संशोधन में पूवोत्तर क्षेत्र के वनों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में कोई संशोधन करने का प्रस्तव नही है। वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की पुनरीक्षा का कार्य पूरा हो गया है और इसकी सिफारिशों भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति के विचारधीन है।

(ङ) और (च) संशोधित वन नीति में भोगधिकार में हिस्सेदारी के माध्यम से वनों की सुरक्षा और विकास में समुदायों की अधिकाधिक भागीदारी के तौर-तरीकों पर विचार किया जाएगा और वानिकी सेक्टर के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए संभावित स्रोतों के बारे में भी सुझाव दिया जाएगा।

जिमकार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क में भाग की खेती

1138. **श्री रामगोपाल यादव**:

श्री ईशदत्त यादव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व प्रसिद्ध जिमकार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के सर्वाधिक रमणीक्क पर्यटन स्थलों पर भाग जैसे मादक पदार्थो की खेती हो रही है ;

(ख) क्या उक्त मादक पदार्थो की खेती उधान के वरिष्ठ अधिकारियों की सांठ-गांठ से हो रही है जिसके कारण प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई करने में विफाल है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार मादक पदार्थो की खेती करने वालों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्रवाई करगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज):

(क) जी नही । यह सही है कि कार्बेट नेशनल पार्क हिमाचल की पादगिरियों में स्थित है जहां भांग का पौधा स्वत: उगता है । इसकी कोई खेती नही की जाती । स्वत: उगने वाले पौधों की संख्या कम करने के लिए, निधियों की उपलब्धता के अनुसार, उन्हे समय-समय पर उखाड दिया जाता है ।

(ख) जी नही ।

(ग) से (ड) प्रश्न नही उठता ।

Units Dealing with Poached Rare Animal Skins

1139. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have any idea of processing units in the country which deal with poached rare animal skins;

(b) who is the owner of the unit; and

(c) how Government are going to deal with the whole case?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SA1FUDDIN SOZ): (a) to (c) Although the country-wide position of units dealing in skins of poached rare wild animals is not available, whenever any such case comes to light, action is taken against such units under the wildlife laws and regulations.

Action against Poachers of rare Species of Animal

1140. SHRI BRATIN SENGUPTA:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) how many poachers of rare species of animasl have been brought to book so far since 1990;